न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या–182/2022 (GCMS No. 2022/188) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. भगवानसिंह आयु करीब वर्ष पुत्र रोशन जाति जाटव निवासी ग्राम खेडा तहसील व जिला धौलपुर (राज.)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. मुकेश दत्तक पुत्र चोखरिया जाति जाटव निवासी ग्राम मिलगवां तहसील व जिला धौलपुर (राज.)

.....असल रेस्पोडेन्ट

2. दिनेश पुत्र रामलाल जाति जाटव निवासी ग्राम खेडा तहसील व जिला धौलपुर (राज)
3. सरपंच ग्राम पंचायत बसईसामन्ता पंचायत समितत धौलपुर।

..... तरतीवी रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 01.05.2018 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर अपील संख्या 7/2013 उनवानी मुकेश बनाम ग्राम पंचायत बसईसामन्ता।

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री योगेश शर्मा, वकील
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव, वकील

नि र्ण य

दिनांक : 28.06.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 01.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 609, 613, 859/601, 861/601, 863/601 वांके ग्राम मिलगवां में लीलावती पत्नी चोखरिया जाति जाटव 1/2 भाग की गैर खातेदार काश्तकार थी। लीलावती ने उक्त खसरा नम्बरान की एवं अन्य

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

जायदाद की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 19.07.2004 को उप पंजीयक कार्यालय धौलपुर के समक्ष निष्पादित एवं पंजीबद्ध कराई गई जिसके आधार पर अपीलांट एवं रेस्पो. दिनेश के नाम नामांतरकरण संख्या 469 वांके ग्राम मिलगवां स्वीकृत हुआ तथा राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. मुकेश ने गोदनामा के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत बसाईसामन्ता में बिना राजीनामा के अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित। रेस्पो. संख्या 2 व 3 अनुपस्थित।
3. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुये सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर दलील दी कि आराजी खसरा नम्बर 609, 613, 859/601, 861/601, 863/601 वांके ग्राम मिलगवां में लीलावती पत्नी चोखरिया जाति जाटव 1/2 भाग की गैर खातेदार काश्तकार थी। लीलावती ने उक्त खसरा नम्बरान की एवं अन्य जायदाद की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 19.07.2004 को उप पंजीयक कार्यालय धौलपुर के समक्ष निष्पादित एवं पंजीबद्ध कराई गई जिसका नामां. संख्या 469 दर्ज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. मुकेश ने गोदनामा के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत बसईसामन्ता में बिना राजीनामा के अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर रिमाण्ड कर दिया। जिसकी जानकारी करीब 10 दिवस पूर्व रेस्पो. अप्रार्थी मुकेश विवादित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने आया व धमकी दी और प्रार्थी को बेदखल करने का ऐलान किया तब जानकारी हुई। इसके बाद अपीलाधीन निर्णय के बारे में अपने वर्तमान अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर पत्रावली का अवलोकन करवाया तब प्रथवार ज्ञान हुआ। प्रार्थी सीधा सादा ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसको कानूनगी पेचिदगियों का ज्ञान नहीं है। अपीलांट ज्ञान से अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर रहा है। जिसको ज्ञान से अन्दर मियाद शुमार किया जावे जिसके लिए प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में हुई देरी को कन्डोन किया जावे। अपीलाधीन निर्णय तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया तथा अपीलांट एवं रेस्पो. दिनेश के किसी भी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया। मात्र उपस्थिति में हस्ताक्षर किये थे तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

राजीनामा , बिना किसी सहमति के अपीलांट की बैक पर निर्णय पारित किया गया है। राजस्व लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता था। गुणावगुण के आधार पर नहीं। पत्रावली में दिनांक 09.07.2018 नियत थी और उक्त दिनांक के बजाय राजस्व लोक अदालत में दिनांक 01.05.2018 को बिना सूचना दिये निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलाधीन विवादित आराजी लीलावती पत्नी चोखरिया की स्वअर्जित कृषि भूमि थी तथा स्वअर्जित के दस्तावेज को दृष्टिगत रखते हुये ही उपपंजीयक धौलपुर ने वसीयत को पंजीबद्ध किया था तथा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपीलाधीन नामांतरकरण 469 स्वीकृत किया गया। रजिस्टर्ड वसीयत कानूनन जब तक अस्तित्व में है तब तक उसके आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता। रजिस्टर्ड वसीयत को मात्र सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में दत्तक ग्रहण के आधार पर अपीलाधीन प्रकरण प्रस्तुत किया था तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण नामांतरकरण के संबंध में था जो कि संक्षिप्त प्रकृति का होता है। जिसमें दत्तकग्रहण एवं वसीयत की वैधता का परीक्षण करने की कोशिश की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर निरस्त फरमाया जावे तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को सुनवाई एवं बहस का मौका प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जावे। अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत यथा आरआरटी 2001(2) पेज 990, डीएनजे 2023(2)(Rev) पेज 1381, डीएनजे 2023(2)(Rev) पेज 1387, आरआरटी 2023(1) पेज 247, आरआरटी 2015(1) पेज 265, डीएनजे 2023(1)(Rev) पेज 515, आरआरटी 2020(2) पेज 1165, आरआरडी 2006 पेज 190, आरआरटी 2012(1) पेज 375 उद्धृत किये।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि चोखरिया फौत हो गया। लीलावती विवादित आराजी की गैर खातेदार दर्ज थी। गैर खातेदार भूमि स्वअर्जित नहीं हो सकती है। जिसकी वसीयत नहीं हो सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार वसीयत केवल खातेदारी भूमि की ही की जा सकती है। मुकेश का दिनांक 01.09.2003 को गोद लिया गया। नामांतरकरण संख्या 469 मुकेश के नाम से सरपंच ने भरा है। दिनांक 01.05.2018 की आदेशिका पर हस्ताक्षर है। आदेशिका में भगवानसिंह उपस्थित है। अपीलांट का कथन कि उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी 10 दिवस पूर्व ही हुई बिल्कुल गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान की उपस्थिति में वैध तरीके से सुन समझकर सभी पक्षकारान की सहमति से दिनांक 01.05.2018 को ओदश पारित किया गया है। जिसकी जानकारी भगवानसिंह, दिनेश व सरपंच ग्राम पंचायत को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

को निर्णय दिनांक 01.05.2018 से ही थी। प्रार्थना पत्र में विलम्ब का उचित कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम खारिज किया जावे। गोदनामा पंजीकृत है। जमाबन्दी में नाम दर्ज हो चुका है। अपीलांट की अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। रेस्पो. द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत यथा आरआरटी 2009(1) पेज 488, धारा 38 व 39 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, आरआरडी 1988 पेज 23 डीबी, आरआरटी 2014(1) पेज 209, आरआरटी 2012(1) पेज 709, आरआरटी 2023(1) पेज 93 उद्धृत किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत बसईसामन्ता में बिना राजीनामा के अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर रिमाण्ड कर दिया। जिसकी जानकारी करीब 10 दिवस पूर्व रेस्पो. अप्रार्थी मुकेश विवादित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने आया व धमकी दी और प्रार्थी को बेदखल करने का ऐलान किया तब जानकारी हुई। इसके बाद अपीलाधीन निर्णय के बारे में अपने वर्तमान अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर पत्रावली का अवलोकन करवाया तब प्रथमवार ज्ञान हुआ। अपीलांट के कथन का रेस्पो. ने खण्डन किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान की उपस्थिति में वैध तरीके से सुन समझकर सभी पक्षकारान की सहमति से दिनांक 01.05.2018 को ओदश पारित किया गया है। जिसकी जानकारी भगवानसिंह, दिनेश व सरपंच ग्राम पंचायत को को निर्णय दिनांक 01.05.2018 से ही थी। प्रार्थना पत्र में विलम्ब का उचित कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांटस द्वारा दिये गये तर्को को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालयों के समय–समय पर पारित निर्णयों में मयाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया गया है ताकि मामलों में उभयपक्ष की उचित सुनवाई होकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. सर्वप्रथम हम ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण कार्यवाही का विवेचन करना उचित समझते हैं। लीलीवती फौत होने पर उसके वारिसान नामांतरकरण पर अंकित सिजरा अनुसार मुकेश दत्तक पुत्र चोखरिया के नाम पटवारी द्वारा दर्ज किया गया किन्तु सरपंच ने यह लिखते हुये कि वसीयत गृहीता भगवानसिंह व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

दिनेश ने मीटिंग में उपस्थित होकर वसीयतनामा पेश किया गया। अतः वसीयतनामा के अनुसार ख.स. 193 में मुकेश के बजाय भगवानसिंह पुत्र रोशन व दिनेश पुत्र रामलाल हिस्सा 1/2, स्वीकार कर दिया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मुकेश दत्तक पुत्र प्रथम श्रेणी का वारिस था। विरासत में प्रथम श्रेणी के वारिसान को समान रूप से विरासत प्राप्त होनी चाहिए। भू राजस्व अधिनियमों में किसी भी प्रथम श्रेणी के वारिसान का नाम बिना सक्षम आदेश/पंजीकृत हकत्याग, पंजीकृत बयनामा के नहीं हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत सरपंच को किन नियमों में अधिकार है इस संबंध में कोई नियम, दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत नहीं किये। प्रथम दृष्टया सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में विधिक भूल की है। मुकेश को चोखरिया व लीलावती द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 01.09.2003 के द्वारा गोद लिया गया था तो वह उसका एक मात्र वारिस था। चोखरिया के फौत होने पर 1/2 हिस्सा पर दत्तक पुत्र की हैसियत से पूर्व से ही जमाबन्दी में नाम दर्ज था। इस प्रश्नगत नामांतरकरण में दत्तक पुत्र मुकेश का नाम छोड दिया गया। इस नामांतरकरण आदेश के विरूद्व अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को की गई जो लीलावती के दत्तक पुत्र मुकेश के द्वारा की गई।

8. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.05.2018 में अंकित किया है कि " पत्रावली में संलग्न रिकार्ड के प्रमाणित प्रति नामां0 सं0 469 ग्राम भिलगवां के अनुसार पटवारी के द्वारा कालम संख्या 9 में मृतक लीलावती के वारिसान के रूप में दत्तक पुत्र मुकेश का नाम भरकर नामांतरकरण पटवारी के द्वारा पेश किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत बसई सामन्ता के द्वारा नामांतरकरण की पुश्त पर अपना निर्णय अंकित कर वसीयत के आधार पर मुकेश के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 भगवानसिह व दिनेश के नाम निर्णय पारित किया गया है। ग्राम पंचायत को नामांतरकरण स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार था ना कि नामांतरकरण की पुश्त पर पृथक से निर्णय पारित कर कालम संख्या 9 के स्थान पर अन्य व्यक्तियों के नाम स्वीकार करने का। अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार धौलपुर को उभयपक्ष की सुनवाई कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया "

9. तथ्य यह है कि वर्ष 2014 से ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में प्रश्नगत नामांतरकरण के विरूद्व अपील बहस अन्तिम के स्तर पर थी। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। लोक अदालत के साथ कैम्प कोर्ट भी आयोजित किये गये। जिसमें अपीलांट मुकेश तथा रेस्पोडेन्ट भगवानसिंह व सरपंच ग्राम पंचायत उपस्थित रहे। आदेशिका पर उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं। अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित किया गया है। नामांतरकरण संख्या 469 ग्राम भिलगवां के कॉलम संख्या 7 में लीलावती बेवा चौखरिया हि. 1/2 कौम चमार सा. खेडा गैर खातेदार शेष हिस्सा 1/2 बदस्तूर जमाबन्दी अंकित है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी गैर खातेदारी की थी। विरासत उत्तराधिकार नियमों के तहत दत्तक पुत्र के नाम पटवारी द्वारा नामांतरकरण भरा गया किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा वसीयतनामा के आधार पर भगवानसिंह व दिनेश का नाम दर्ज कर दिया। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1988 पेज 23 में प्रतिपादित किया है कि –

(1) (a) Rajasthan Tenancy Act. section 39- It is only Khatedar tenant who may by " Will" bequath his interest in land in accordance with his personal law (para 9).

(2) RRT 2014(I) pg 209 में प्रतिपादित किया है कि – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 –धारा 88, 183 व 53– प्रतिवादी ' आरके' के पक्ष में बाली द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक किया– बाली की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं– गैरखातेदारी की भूमि– वसीयत के जरिये भूमि हस्तान्तरण का अधिकार नहीं– वादी रेस्पोडेन्टस नं. 1 व 2 के विरूद्व वसीयत निष्प्रभावी थी– वसीयत संदेहास्पद थी और विधि अनुसार साबित नहीं किया– निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी निर्णय व डिक्री अपास्त करने में न्यायसंगत था।

(3) Para no. 10 में अंकित है कि (1) काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 38 में कृषक जिसमें खातेदार व गैर खातेदार कृषक दोनों शामिल हैं, के अधिकारों को उक्त अधिनियम में किये गये अन्यथा प्रावधानों को छोडकर, केवल उत्तराधिकार योग्य माना है, हस्तान्तरणीय नहीं। अर्थात सामान्यतः काश्तकारी हित/अधिकार हस्तान्तरणीय नहीं है। (2) उक्त अधिनियम की धारा 39 में वसीयत द्वारा काश्तकारी हितों के हस्तान्तरण का प्रावधान किया गया है, किन्तु विधायिका द्वारा यह अधिकार केवल "खातेदार कृषक" को दिया गया है, "गैर खातेदार कृषक" को यह अधिकार नहीं है। (3)उक्त अधिनियम 1955 की धारा 40 में उत्तराधिकार के प्रावधान कृषक के लिए हैं जिसमें खातेदार कृषक व गैर खातेदार कृषक शामिल हैं, अर्थात निर्वसतीय मरने वाले कृषक के अधिकार उसके लिए प्रभावी विधि अनुसार उत्तराधिकार में मिलेंगे।

(4) RRT 2023 pg 93 में प्रतिपादित किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 135 नामांतरकरण श्योजीराम को भूमि आवंटन की जिसने प्रार्थी के पक्ष में वसीयत निष्पादित की– गैरखातेदारी भूमि की 05.09.1975 को वसीयत निष्पादित की और खातेदारी 15.02.1994 को प्रदान की – वसीयत शून्य थी– अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता– गैर खातेदारी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

की वसीयत निष्पादित नहीं की जा सकती— निर्णीत, संभागीय आयुक्त ने आदेश अपास्त करने में त्रुटि नहीं की है।

इस प्रकार अपीलाधीन नामांतरकरण पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक के वारिस का नाम अंकित किया जाना चाहिए था, किन्तु ग्राम पंचायत के निर्णय में यह अंकित करना कि वसीयतनामा के अनुसार मुकेश के बजाय भगवानसिंह पुत्र रोशन व दिनेश पुत्र रामलाल के नाम हिस्सा 1/2 स्वीकार कर मुकेश का नाम विरासत के नामांतरकरण में से हटाकर नामांतरकरण का निर्णय कर दिया गया जबकि ग्राम पंचायत को मात्र हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी वारिसान के नाम नामांतरकरण निर्णय करने का अधिकार है उसको किसी के स्वत्व का निर्धारण करने को अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है तथा रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें प्रकरण पर चस्पा होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायायल उपखण्ड अधिकारी धौलपुर का निर्णय दिनांक 01.05.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

28/6/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर